60/190

14129/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

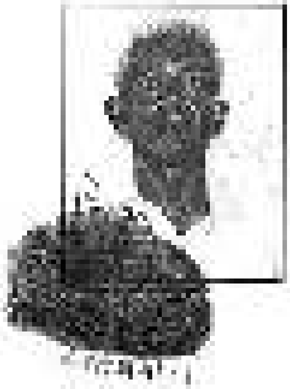

विक्रय पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: निजामपुर पड़िगावाँ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	: भूमि खसरा संख्या – 139

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.2380 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: कुछ भी नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रु0 21,63,325/-
11.	मालियत	: रु0 4,28,400/-
12.	स्टाम्प	: रु0 1,51,500/-

चौहद्दी

खसरा नं0 139

पूरब	: खसरा संख्या 155 व 154
पश्चिम	: चकमार्ग
उत्तर	: खसरा संख्या–150
दक्षिण	: खसरा संख्या–140

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या 01	द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
साहबदीन पुत्र फूलमाली, निवासी– निजामपुर मझिगवां, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	श्री राम पुत्र राम दीन निवासी–115, सदर, रायबरेली, उ0प्र0। व्यवसाय व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राजनदीन पुत्र फूलमाली, निवासी– निजामपुर मझिगवां, परगना – बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम श्री राम पुत्र राम दीन निवासी–115, सदर, रायबरेली, 2020 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या–139 रकबा 0.2330 हेक्टेयर, स्थित ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर,

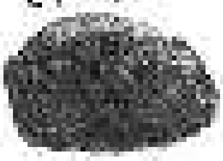

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 281999

तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, स्वामित्व व काबिज है जो विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी फसली वर्ष 1413 से 1418 के खाता खतौनी क्रम संख्या 00225 के अनुसार विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी अब विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो सभी शिकवा, झगड़ा, कब्जापार, कुर्की, व लगान आदि से ग्रसित नहीं है। उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 261998

क्योंकि भागीदार है। अब बावजह कुल विक्रेता के सभी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना कोई किसी चीज व हक के कुल सीर व हमाहमार बिना किसी दबाव के, बाबत मुवलिग रु० 21,63,325/- (रुपया इक्कीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय बाई किया, और कुल विक्रय धनराशि रकम वाहिद उपरोक्त हमसे क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

तारीख से क्रेता उपरोक्त का मालिक काबिज करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी मबीया व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी मबीया पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, रहन, कुर्की व जमानत आदि से क्षतिग्रस्त पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता का अधिकार होगा कि वह अपना कुल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 717642

विक्रय सम्पत्ति पर हर्जा खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से अथवा न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता समरोपिता को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग, जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम निजामपुर गढ़िगवां, परगना- बिलारी के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 18,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि जिसका रकबा 0.2380 की मालियत रु0 4,28,400/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क 1,51,500/- को अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 1 किमी से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रु0 20,63,325/- (रुपया बीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) जरिये चेक संख्या-317848 दिनांकित 14.07.2010 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-[illegible], लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेता को रु0 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) नगद क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य तखमीना रु0 21,63,325/- (रुपया इक्कीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह उपरोक्त विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

[illegible]

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने–अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांकः– 14.07.2010

लखनऊ

गवाहानः–

1. [illegible]

विक्रेता

2. [illegible]

क्रेता

टाइपकर्ताः

(श्याम सनेही)

मसौदाकर्ताः

(रानी अनुराग)

एडवोकेट

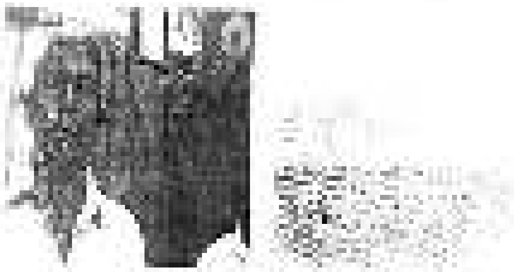

नक्सा नजरी

ग्राम-

खसरा संख्या-

विक्रेता

क्रेता

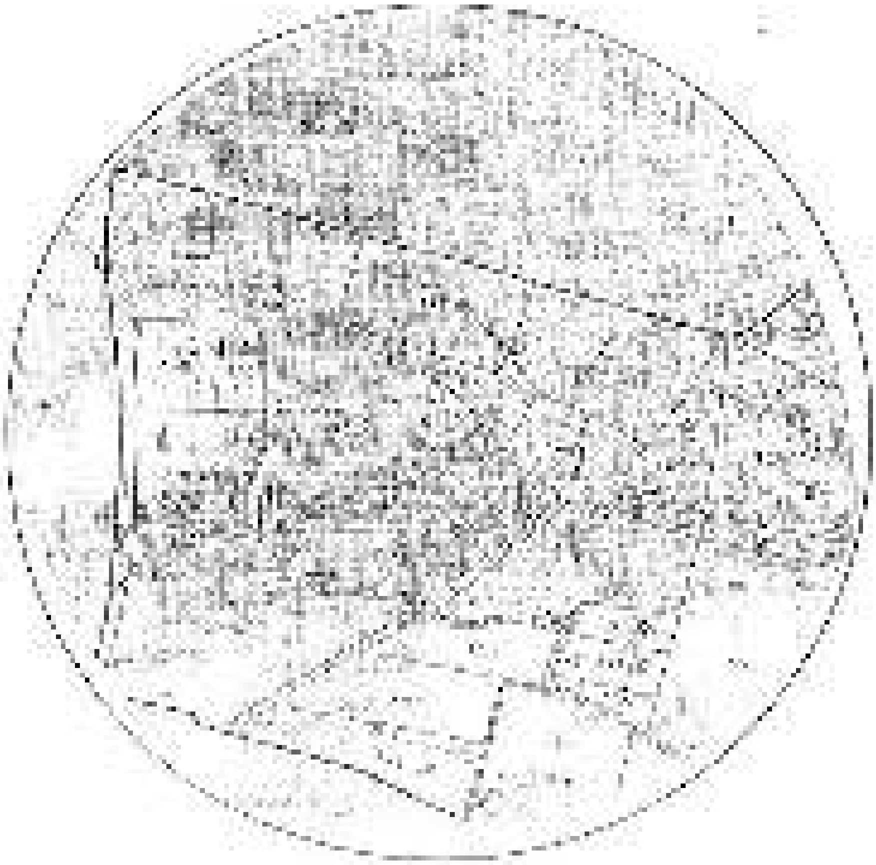

Year: Book No.

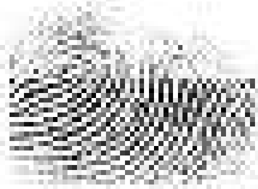

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता– [illegible] पुत्र [illegible], निवासी– [illegible], परगना– [illegible], तहसील व जिला [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

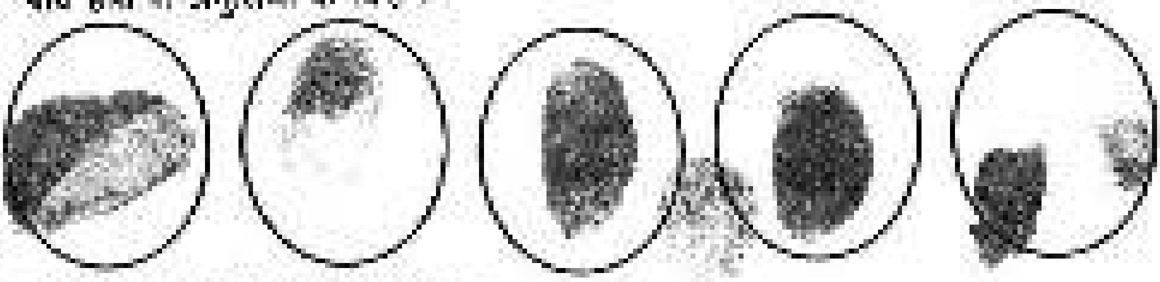

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता–श्री राम पुत्र [illegible] निवासी–[illegible], [illegible], [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

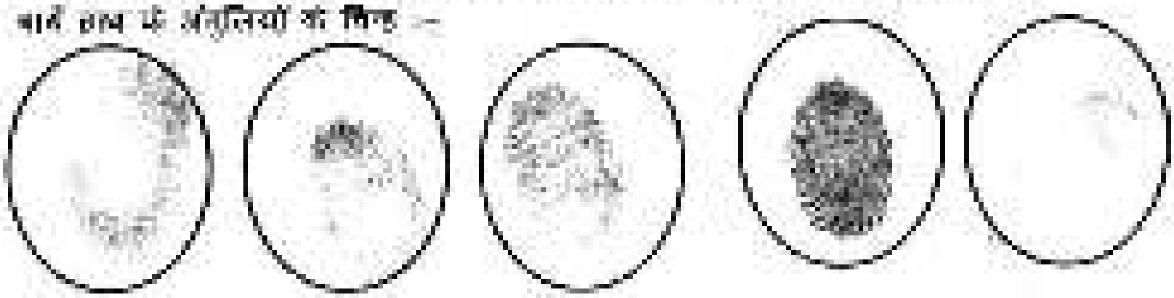

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

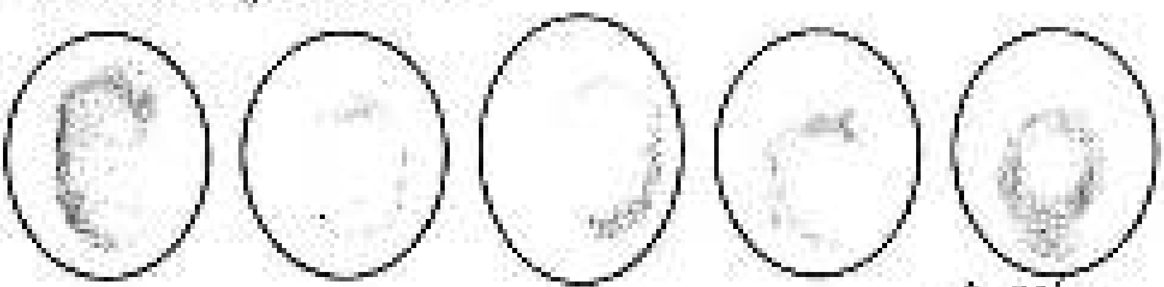

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 14/07/2010 को

बही सं 1 जिल्द सं 11762

पृष्ठ सं 95 से 120 पर क्रमांक 13129

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के. त्रिवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]